



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1943 (श०)

संख्या- 23 राँची, मंगलवार,

1 फरवरी, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी, 2022

संख्या-4/न०वि०/गठन/117/2014/272--झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 2001 की धारा-89 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (द्वितीय) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-3924 दिनांक-13.12.2021 के आलोक में चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (द्वितीय) के पद पर श्री उदय शंकर सहाय, सेवानिवृत्त अभियंता, झारखण्ड, राँची को नियुक्त किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

3. श्री सहाय की सेवा अवधि 03 वर्ष के लिए होगी एवं इनकी अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष की होगी ।

4. अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य (द्वितीय) अपने कार्यकाल के दौरान अन्य पद धारण नहीं करेंगे ।
5. अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (द्वितीय) के वेतन एवं भत्ते/मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र में निहित प्रावधानों के अनुरूप राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के द्वारा किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
